

कार्यालय सदस्य राज्य परिवहन प्राधिकार राजस्थान

क्रमांक:- एफ 9(253)परि/आरटीए/एसटीए/98-99/पार्ट-3179 जयपुर, दिनांक 18/2/16

विषय:- प्रस्ताव संख्या एसटीए/03/2015 दिनांक 02.09.2015 में संशोधन ।

प्रस्ताव की शर्त संख्या 1 में "अधिसूचित मार्गों पर अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु वाहन दो कलेण्डर वर्ष से अधिक पुराना निर्मित नहीं होगा" के स्थान पर "अधिसूचित मार्गों पर अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु आवेदन की दिनांक को वाहन दो कलेण्डर वर्ष से अधिक पुराना निर्मित नहीं होगा"


सदस्य

राज्य परिवहन प्राधिकार ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ 9(253) परि/ आरटीए/एसटीए/ 98-99/पार्ट-3179 जयपुर, दिनांक 18/2/16
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
4. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार।
5. समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय)।
6. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (जोन)
7. समस्त सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार/ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
8. अपर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार।
9. समस्त अपर सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार/ अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
10. समस्त अपर सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार/ जिला परिवहन अधिकारी।
11. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभीय वेबसाईट पर अपडेट हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।


सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार